

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ 44-13/2018/20-2

भोपाल, दिनांक 27.9.2018


प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण संभाग म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्यप्रदेश।
3. सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग समस्त जिले।

विषय:- अतिथि शिक्षकों की ऑनलाईन व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भ:- शासकीय अधिवक्ता का पत्र दिनांक 04.09.2018।

कृपया संदर्भित पत्र मे लेख अनुसार रिट पिटीशन क्रमांक 18096/2018 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित है। विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2018 के क्रम में लेख है कि चूंकि माननीय न्यायालय में सुनवाई हेतु आगामी तिथि 04.10.2018 नियत है। अतः अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नही की जाने संबंधी रोक की तिथि दि. 04.10.2018 तक की जाती है।


(प्रमोद सिंह) 27/9/18
उपसचिव


म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्र. एफ 44-13/2018/20-2

भोपाल, दिनांक2018

प्रतिलिपि:-

1. महाधिवक्ता, मान.उच्च न्यायालय जबलपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल। समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य/प्रधानाध्यापक को निर्देशित करने हेतु।
3. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग भोपाल।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


27/9/18
उपसचिव

म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

// लेखीराम //
27092018